

अनुसूची जेड

समझौता ज्ञापन [नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट] की स्थापना के
संबंध में द्वारा और बीच

भारत सरकार

और

यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

समझौता ज्ञापन

यह सहमति पत्र आज दिनांक 22 नवंबर, 2021 को नई दिल्ली में निष्पादित किया गया:

द्वारा और बीच:

1. **भारत के राष्ट्रपति**, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव के माध्यम से कार्य करते हुए (जिन्हें आगे "भारत सरकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जब तक संदर्भ से विपरीत न हो, उनके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे), प्रथम पक्ष; और

2. **यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड**, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत भारत में निगमित एक कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय ईएसएसइ हाउस, 155, ओखला इंडस्ट्रियल स्टेट, फेज 3, नई दिल्ली 110020 में स्थित है (जिन्हें आगे "रियायतग्राही" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में जब तक संदर्भ से विपरीत न हो, उसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे), द्वितीय पक्ष।

(भारत सरकार और रियायतग्राही को आगे संयुक्त रूप से "पक्षकार" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा गया है)।

जबकि:

क. भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर स्थित जेवर में सार्वजनिक उपयोग के लिए एक हवाई अड्डे ("हवाई अड्डा") की स्थापना के लिए प्राधिकरण को 'सैद्धांतिक मंजूरी' प्रदान की है, जो सैद्धांतिक मंजूरी में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन है।

बी. प्राधिकरण ने डिजाइन, निर्माण, वित्तपोषण, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर जेवर के पास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया है ("परियोजना")। प्राधिकरण ने तदनुसार डीबीएफओटी आधार पर हवाई अड्डे के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए अपनी प्रस्ताव सह योग्यता अनुरोध संख्या एनआईएएल-02/43/2019 दिनांक 25 सितंबर 2019 ("आरएफपीRFP सीयूएम आरएफक्यू") द्वारा प्रस्ताव आमंत्रित किए थे। बोलियों के मूल्यांकन के बाद, प्राधिकरण ने रियायतग्राही की बोली को स्वीकार कर लिया।

ग. प्राधिकरण और रियायतग्राही ने दिनांक 07 अक्टूबर 2020 को एक रियायत समझौता किया है, जिसके तहत वे उन नियमों और शर्तों पर सहमत हुए हैं जिनके तहत रियायतग्राही डीबीएफओटी आधार पर जेवर के पास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ("एनआईए") का निर्माण, संचालन और रखरखाव करेगा।

घ. भारत सरकार यह स्वीकार करती है कि परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा रियायतग्राही को निरंतर सहायता और कुछ अधिकारों का अनुदान आवश्यक है, जैसा कि आगे बताया गया है, और यह परियोजना के लिए संसाधनों जुटाने हेतु एक आवश्यक पूर्व-शर्त है।

ड. रियायतग्राही द्वारा रियायत समझौते में प्रवेश करने के प्रतिफल में और रियायतग्राही के सुचारू कामकाज व व्यावहारिकता को बढ़ाने के लिए, रियायत समझौते के तहत प्राधिकरण

के दायित्वों के अलावा, भारत सरकार यहाँ बताए अनुसार रियायतग्राही को कुछ सहायता प्रदान करने के लिए सहमत है।

अब इसके द्वारा निम्नानुसार सहमति व्यक्त की जाती है:

खंड 1:

परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस सहमति पत्र में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ निम्नानुसार होंगे:

- **"पशु संगरोध सेवाएं"** से तात्पर्य संगरोध सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से है जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 1 में निर्धारित किया गया है;
- **"पशु संगरोध सेवा प्रतिनिधि"** से तात्पर्य पशु संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से है, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में मनोनीत किया जाएगा;
- **"लागू अनुमतियां"** से तात्पर्य इस सहमति पत्र के अस्तित्व के दौरान परियोजना के संबंध में लागू कानूनों के तहत भारत सरकार या भारत सरकार के किसी विभाग /एजेंसी से प्राप्त की जाने वाली और/या उसके बाद बनाए रखी जाने वाली सभी मंजूरीयों, लाइसेंसों, परमिटों, प्राधिकारों, अनापत्ति प्रमाण पत्रों, सहमतियों, अनुमोदनों और छूटों से है;
- **"मध्यस्थ न्यायाधिकरण"** का वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 7.3.2 में दिया गया है;
- **"प्राधिकरण"** से तात्पर्य मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले 'नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड' से है;
- **"प्राधिकरण प्रतिनिधि"** से तात्पर्य प्राधिकरण के अधिकृत प्रतिनिधि से है, जिसे समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा मनोनीत किया जाएगा;
- **"सीएनएस/एटीएम सेवाएं"** से तात्पर्य हवाई यातायात प्रबंधन के लिए संचार, दिक्कालन और निगरानी प्रणालियों से संबंधित सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से है, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 2 में निर्धारित किया गया है;
- **"सीएनएस/एटीएम सेवा प्रतिनिधि"** से तात्पर्य सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से है, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में मनोनीत किया जाएगा;
- **"रियायत समझौता"** का वही अर्थ होगा जो प्रस्तावना (ग) में दिया गया है;
- **"रियायतग्राही"** का वही अर्थ होगा जो पक्षकारों की सूची में दिया गया है या कोई अन्य पक्ष जिसे प्राधिकरण द्वारा परियोजना के लिए रियायतग्राही के रूप में स्वीकार किया जा सकता है;
- **"रियायतग्राही प्रतिनिधि"** से तात्पर्य रियायतग्राही द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में मनोनीत कम से कम निदेशक स्तर के प्रतिनिधि(यों) से है;
- **"सीमा शुल्क नियंत्रण"** से तात्पर्य सीमा शुल्क से संबंधित सेवाओं से है जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 3 में निर्धारित किया गया है;

- **"सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि"** से तात्पर्य सीमा शुल्क नियंत्रण सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से है, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में मनोनीत किया जाएगा;
- **"डीजी बीसीएस"** का अर्थ नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन मंत्रालय के महानिदेशक से है, जो एनेक्स 17 की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त प्राधिकारी होंगे;
- **"डीजीसीए"** का अर्थ नागर विमानन महानिदेशालय या उसका कोई विकल्प है;
- **"प्रभावी तिथि"** से तात्पर्य उस तिथि से है जो भारत सरकार और प्राधिकरण के बीच परस्पर सहमत हो, लेकिन यह रियायत समझौते में प्रदान की गई नियुक्त तिथि से बाद की नहीं होगी;
- **"भारत सरकार"** का वही अर्थ होगा जो इस एमओयू की प्रस्तावना में दिया गया है;
- **"भारत सरकार की सहायता"** का वही अर्थ होगा जो इस एमओयू के खंड 3 में दिया गया है;
- **"स्वास्थ्य सेवाएं"** से तात्पर्य अनिवार्य स्वास्थ्य सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से है जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 4 में निर्धारित किया गया है;
- **"स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधि"** से तात्पर्य स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग / एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से है, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में मनोनीत किया जाएगा;
- **"आप्रवासन सेवाएं"** से तात्पर्य लागू कानून के अनुसार आप्रवासन सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से है, जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 5 में निर्धारित किया गया है;
- **"आप्रवासन सेवा प्रतिनिधि"** से तात्पर्य इमिग्रेशन सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग / एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से है, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में मनोनीत किया जाएगा;
- **"संयुक्त समन्वय समिति"** का वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 4.1.1 में दिया गया है;
- **"मास्टर प्लान"** का वही अर्थ होगा जो रियायत समझौते में दिया गया है;
- **"मौसम संबंधी सेवाएं"** से तात्पर्य मौसम संबंधी सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से है जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 6 में निर्धारित किया गया है;
- **"मौसम सेवा प्रतिनिधि"** से तात्पर्य मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले भारत मौसम विज्ञान विभाग के अधिकृत प्रतिनिधि से है, जो समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में रहेगा;
- **"एमओयू"** या **"यह एमओयू"** से तात्पर्य इस सहमति पत्र से है;
- **"पादप संगरोध सेवाएं"** से तात्पर्य संगरोध सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से है जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 7 में निर्धारित किया गया है;
- **"पादप संगरोध सेवा प्रतिनिधि"** से तात्पर्य पादप संगरोध सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग / एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से है, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में मनोनीत किया जाएगा;
- **"परियोजना"** का अर्थ रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार हवाईअड्डे का निर्माण, संचालन और रखरखाव है;
- **"आरक्षित सेवाएं"** का वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 3.3.1 में दिया गया है;

- "सुरक्षा सेवाएं" से तात्पर्य सुरक्षा सेवाओं (आरक्षित सेवाओं का हिस्सा) से है जैसा कि इसके साथ संलग्न अनुसूची 8 में निर्धारित किया गया है;
- "सुरक्षा सेवा प्रतिनिधि" से तात्पर्य सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने वाले विभाग/एजेंसी के अधिकृत प्रतिनिधि से है, जिसे भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संयुक्त समन्वय समिति में मनोनीत किया जाएगा; और
- "अवधि" का वही अर्थ होगा जो नीचे खंड 5.1 में दिया गया है।

यहाँ प्रयुक्त अन्य पूंजीकृत शब्द (जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं) लेकिन रियायत समझौते के तहत परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो रियायत समझौते के तहत दिए गए हैं।

1.2 इस एमओयू में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा आवश्यक न हो, रियायत समझौते के खंड 1.2 में उल्लिखित व्याख्या के नियम लागू होंगे।

खंड 2:

प्रभावी तिथि

इस एमओयू के प्रावधान (खंड 1, 2, 3, 4, 5.5, 7, 8 और 9 में निहित प्रावधानों को छोड़कर, जो इस एमओयू की तिथि से ही पक्षकारों पर बाध्यकारी हैं) प्रभावी तिथि से लागू होंगे और पक्षकारों पर बाध्यकारी होंगे।

"पृष्ठ का शेष भाग रिक्त छोड़ दिया गया है।"

खंड 3:

भारत सरकार की सहायता

प्रभावी तिथि से, भारत सरकार इसके द्वारा परियोजना के संबंध में निम्नलिखित सहायता ("भारत सरकार की सहायता") प्रदान करने का वचन देती है:

3.1 लागू अनुमतियां

3.1.1 भारत सरकार, रियायतग्राही से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर और रियायतग्राही द्वारा लागू कानूनों के अनुपालन के अधीन, रियायतग्राही को परियोजना के लिए या उसके संबंध में आवश्यक लागू अनुमतियां प्रासंगिक वैधानिक अवधि (यदि कोई हो) के भीतर प्रदान करने का प्रयास करेगी। पक्षकार सहमत हैं कि जहाँ कोई वैधानिक अवधि निर्धारित नहीं है, वहाँ भारत सरकार रियायतग्राही से लिखित अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 45 (पैंतालीस) दिनों के भीतर परियोजना के लिए आवश्यक लागू अनुमतियां प्रदान करने के लिए सभी उचित प्रयास करेगी, बशर्ते रियायतग्राही लागू अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्दिष्ट सभी मानदंडों को पूरा करता हो।

3.1.2 रियायतग्राही इसके द्वारा वचन देता है कि लागू अनुमतियों के अनुदान में तेजी लाने के लिए, वह त्वरित और समयबद्ध तरीके से (i) संबंधित अधिकारियों के पास लागू कानून के पूर्ण अनुपालन में आवेदन तैयार करेगा और दाखिल करेगा; (ii) संबंधित अधिकारियों के साथ उक्त आवेदनों का फॉलो-अप करेगा; और (iii) आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण के सभी अनुरोधों का समय पर जवाब देगा।

3.2 सिंगल विंडो क्लीयरेंस

भारत सरकार इसके द्वारा भारत सरकार के नियंत्रण और दिशा-निर्देशों के तहत संबंधित एजेंसियों, प्राधिकरणों, विभागों, निरीक्षक कार्यालयों, मंत्रालयों के साथ संपर्क स्थापित करने में रियायतग्राही को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार में एकल संपर्क बिंदु के माध्यम से एक 'सिंगल विंडो क्लीयरेंस' तंत्र/मार्ग स्थापित करने का वचन देती है।

3.3 आरक्षित सेवाएं

3.3.1 भारत सरकार पूरी अवधि के दौरान हवाई अड्डे पर निम्नलिखित सेवाएं ("आरक्षित सेवाएं") प्रदान करेगी या प्रदान करवाएगी:

i. सीएनएस/एटीएम सेवाएं;

ii. सीमा शुल्क नियंत्रण ;

iii. आप्रवासन सेवाएं ;

iv. पादप संगरोध सेवाएं;

v. पशु संगरोध सेवाएं;

vi. स्वास्थ्य सेवाएं;

vii. मौसम संबंधी सेवाएं; और

viii. सुरक्षा सेवाएं ।

ix. भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट की गई अन्य सेवाएं।

3.3.2 पक्षकार स्वीकार करते हैं कि सुरक्षा सेवाओं के लिए लिया जाने वाला शुल्क और उसका संग्रहण व उपयोग समय-समय पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी लागू दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित होगा।

3.3.3 रियायतग्राही ड्राइंग/डिजाइनिंग चरण के दौरान, ब्यूरो ऑफ आप्रवासन, राजस्व विभाग (सीमा शुल्क सेवाओं के लिए), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा सुझाव दिए गए अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ परामर्श करेगा। रियायतग्राही आईसीएओ मानकों और एनसीएसपी के अनुसार विमानन सुरक्षा के संबंध में डिजाइन चरण के दौरान बीसीएस से भी परामर्श करेगा। इन एजेंसियों के उचित सुझावों/अनुरोधों का सामान्यतः रियायतग्राही द्वारा पालन किया जाएगा, जब तक कि उन सुझावों और अनुरोधों का पालन न कर पाने का कोई अत्यधिक महत्वपूर्ण/बाध्यकारी कारण न हो।

3.3.4 भारत सरकार यह प्रयास करेगी कि आरक्षित सेवाओं के प्रदर्शन में भारत सरकार की एजेंसियों/विभागों द्वारा 'गुड इंडस्ट्री प्रैक्टिस' (उत्कृष्ट उद्योग प्रथाओं) के अनुसार तकनीकी प्रगति को अपनाया और लागू किया जाए। रियायतग्राही सीमा शुल्क विभाग को निःशुल्क कम्प्यूटरीकृत प्रणालियों सहित इस संबंध में आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा।

3.4 भारत सरकार की एजेंसियों के साथ समझौता पत्र :

3.4.1 भारत सरकार इसके द्वारा रियायतग्राही और नीचे दी गई आरक्षित सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्येक सरकारी एजेंसी/विभाग के बीच एक समझौता पत्र के निष्पादन को सुनिश्चित करने का वचन देती है, जिसमें उन नियमों और शर्तों को निर्धारित किया जाएगा जिन पर संबंधित सरकारी एजेंसियों/विभागों द्वारा आरक्षित सेवाएं प्रदान की जाएंगी। इस संबंध में, रियायतग्राही उपयोगिताओं (जैसे बिजली, पानी आदि, जिनकी लागत रियायतग्राही द्वारा वसूल की जा सकती है) की लागत को छोड़कर, और उत्कृष्ट उद्योग प्रथाओं के अनुसार सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध और अन्य नामित सरकारी एजेंसियों को उनके वैधानिक कार्यों का निर्वहन करने के लिए संचालन क्षेत्र हेतु आवश्यक कार्यालय उपयोगिताओं के साथ कार्यालय स्थान निःशुल्क प्रदान करेगा। जहां तक सरकारी एजेंसियों/विभागों द्वारा बैंक ऑफिस उपयोग के लिए स्थान का संबंध है, रियायतग्राही लागू बाजार दरों के 50% (पचास प्रतिशत) की दर से शुल्क लेगा।

3.4.2 आरक्षित सेवाओं का निष्पादन करने वाली सरकारी एजेंसियों/विभागों और रियायतग्राही के बीच हस्ताक्षरित सहमति पत्र में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी **राष्ट्रीय नागर विमानन नीति** के प्रावधानों को प्रभावी बनाया जाएगा और शामिल किया जाएगा।

3.5 मास्टर प्लान

भारत सरकार यह वचन देती है कि यदि हवाई अड्डे के मास्टर प्लान में किसी संशोधन की आवश्यकता होती है, जो डीजीसीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों या किसी अन्य लागू दिशानिर्देशों से भिन्न है, तो भारत सरकार प्राधिकरण से लिखित अनुरोध प्राप्त होने के 30 (तीस) दिनों के भीतर उपयुक्त प्राधिकारी से मास्टर प्लान की स्वीकृति प्राप्त करेगी। बशर्ते कि भारत सरकार ऐसे संशोधनों को मंजूरी देने से इनकार कर सकती है यदि वे संशोधन हवाई अड्डे के समग्र डिजाइन और वातावरण के अनुरूप नहीं हैं और/या भारत सरकार के किसी विभाग या एजेंसी के संप्रभु कार्यों के निर्वहन के लिए अनुकूल नहीं हैं।

3.6 वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण और संशोधन के सिद्धांत

3.6.1 इसके पक्षकार स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि रियायतग्राही द्वारा किसी उपभोक्ता/उपयोगकर्ता से लिए जाने वाले, एकत्र किए जाने वाले और विनियोजित किए जाने वाले किसी भी और सभी वैमानिकी शुल्कों का निर्धारण और संशोधन एडआरए द्वारा, एडआरए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार और एडआरए द्वारा जारी वर्तमान दिशानिर्देशों के तहत एडआरए के एक आदेश द्वारा किया जाएगा।

3.6.2 राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 हवाई अड्डे पर वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण और विनियमन के लिए "30% (तीस प्रतिशत) शेयर-टिल फ्रेमवर्क" प्रदान करती है, और इसे या समय-समय पर टिल फ्रेमवर्क के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी ऐसे आदेश को एडआरए द्वारा हवाई अड्डे पर वैमानिकी शुल्क निर्धारित करते समय ध्यान में रखा जाएगा। संदेह से बचने के लिए, सिटी साइड विकास से रियायतग्राही के राजस्व को वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण और विनियमन के लिए साइड फ्रेमवर्क से बाहर रखा जाएगा।

3.6.3 रियायतग्राही द्वारा प्राधिकरण को देय प्रीमियम को हवाई अड्डे के लिए पूंजीगत व्यय, नियामक संपत्ति आधार या परिचालन व्यय के भाग के रूप में नहीं माना जाएगा, और

वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के लिए लागत के हिस्से के रूप में माने जाने से हमेशा बाहर रखा जाएगा। रियायतग्राही इसके द्वारा स्वीकार करता है और सहमत होता है कि उसके द्वारा प्राधिकरण को देय प्रीमियम को एडआरए द्वारा वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण या संशोधन के लिए किसी भी उद्देश्य के लिए विचार में नहीं लिया जाएगा।

3.6.4 रियायतग्राही चरण-। के वाणिज्यिक संचालन तिथि से हवाई अड्डे के उपयोगकर्ताओं से शुल्क की प्रारंभिक/तदर्थ दरों पर वैमानिकी शुल्क वसूलने, एकत्र करने और विनियोजित करने का हकदार होगा, जैसा कि एडआरए द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। शुल्क की ऐसी प्रारंभिक/तदर्थ दरें एडआरए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एडआरए द्वारा वैमानिकी शुल्कों के अनुमोदन तक लागू और मान्य होंगी।

3.6.5 चरण- के सीओडी से शुरू होने वाले पहले टैरिफ नियंत्रण अवधि (वर्तमान में 5 (पांच) वर्ष) के लिए एडआरए द्वारा अनुमोदित तदर्थ या अंतिम वैमानिकी शुल्कों के संबंध में रियायतग्राही द्वारा वैमानिकी राजस्व की किसी भी निम्न-वसूली या अधिक-वसूली को एडआरए अधिनियम और एडआरए के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार दूसरी टैरिफ नियंत्रण अवधि में स्वीकार्य वैमानिकी राजस्व का निर्धारण करते समय एडआरए द्वारा आगे बढ़ाया और समायोजित किया जाएगा।

3.6.6 पहली टैरिफ नियंत्रण अवधि के बाद रियायतग्राही द्वारा वैमानिकी राजस्व की किसी भी निम्न-वसूली या अधिक-वसूली को एडआरए अधिनियम और एडआरए के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार एडआरए द्वारा समायोजित किया जाएगा।

3.6.7 रियायतग्राही पड़ोसी हवाई अड्डों के टैरिफ के साथ टैरिफ को तुलनात्मक रखने के माध्यम तलाशने के लिए एडआरए के साथ मिलकर कार्य करेगा।

3.6.8 संप्रभु कार्य प्रदान करने के लिए रियायतग्राही द्वारा किसी भी सरकारी एजेंसी / संस्थान को दिए गए किसी भी भुगतान को वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के उद्देश्य से एक परिचालन व्यय माना जाएगा, और तदनुसार वैमानिकी शुल्कों के निर्धारण के लिए लागत के भाग के रूप में माना जाएगा।

खंड 4 :

संयुक्त समन्वय समिति

4.1 संयुक्त समन्वय समिति

4.1.1 आरक्षित सेवाओं का सुचारू और कुशल निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए, पक्षकार इसके द्वारा एक संयुक्त समन्वय समिति ("संयुक्त समन्वय समिति") गठित करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

(i) प्राधिकरण प्रतिनिधि;

(ii) सीएनएस/एटीएम सेवा प्रतिनिधि;

(iii) सीमा शुल्क नियंत्रण प्रतिनिधि;

(iv) आप्रवासन सेवा प्रतिनिधि;

(v) मौसम सेवा प्रतिनिधि;

(vi) सुरक्षा सेवा प्रतिनिधि;

(vii) पादप संगरोध सेवा प्रतिनिधि;

(viii) पशु संगरोध सेवा प्रतिनिधि;

(ix) स्वास्थ्य सेवा प्रतिनिधि;

(x) रियायतग्राही प्रतिनिधि; और

(xi) नागर विमानन मंत्रालय का प्रतिनिधि।

4.1.2 संयुक्त समन्वय समिति, जब तक कि पक्षकारों द्वारा बाद की तारीख में आयोजित करने के लिए अन्यथा सहमति न दी जाए, प्रभावी तिथि के 30 (तीस) दिनों के भीतर पहली बार शुरू करते हुए, हवाई अड्डे पर हर तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

“पृष्ठ का शेष भाग रिक्त छोड़ दिया गया है।”

खंड 5:

अवधि और समाप्ति

5.1 उपर्युक्त खंड 2 के अधीन रहते हुए, यह एमओयू प्रभावी तिथि से पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी होगा और तब तक पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी रहेगा जब तक कि पक्षकारों द्वारा परस्पर समाप्त न कर दिया जाए (**“अवधि”**)। बशर्ते कि रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार उसकी समाप्ति पर, रियायतग्राही इस एमओयू का एक पक्षकार नहीं रहेगा और जब तक कि रियायतग्राही को प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य इकाई के साथ प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है, इस एमओयू के तहत रियायतग्राही के अधिकार और दायित्व प्राधिकरण में निहित होंगे। संदेह से बचने के लिए, रियायत समझौते की समाप्ति का इस एमओयू की अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

“पृष्ठ का शेष भाग रिक्त छोड़ दिया गया है।”

खंड 6 :

अपरिहार्य घटना

6.1 कोई भी पक्षकार इस एमओयू के तहत अपने संबंधित दायित्वों के निष्पादन को उस सीमा तक निलंबित करने या छूट पाने का हकदार होगा, जिस सीमा तक वह/वे अपरिहार्य घटना (फ़ोर्स मेज्योर) के कारण ऐसा निष्पादन करने में असमर्थ है/हैं।

6.2 जहाँ कोई पक्षकार अपरिहार्य घटना के कारण अपने दायित्वों के निलंबन का दावा कर रहा है, वह तुरंत, लेकिन किसी भी स्थिति में अपरिहार्य घटना के घटित होने के 7 (सात) दिनों के भीतर, अन्य पक्षकारों को अपरिहार्य घटना का पूरा विवरण, इसकी अनुमानित अवधि, प्रभावित दायित्वों और इसके निलंबन के कारणों का लिखित रूप से सूचना देगा।

6.3 अपरिहार्य घटना का दावा करने वाला पक्षकार अपरिहार्य घटना पर नियंत्रण पाने और इस एमओयू के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन पर इसके प्रभावों को कम करने के लिए उचित प्रयास करेगा। प्रभावित पक्षकार अपरिहार्य घटना के समाप्त होने और उन दायित्वों (जो निलंबित किए गए थे) का अनुपालन करने में अब कोई बाधा न रहने पर तुरंत अन्य पक्षकारों को सूचित करेगा और उसके बाद यथाशीघ्र ऐसे दायित्वों का अनुपालन फिर से शुरू करेगा।

6.4 जहाँ किसी पक्षकार को अपरिहार्य घटना के कारण इस एमओयू के तहत किसी भी अधिकार का प्रयोग करने या किसी भी दायित्व को निभाने से रोका जाता है, तो उससे

प्रभावित दायित्वों के निष्पादन या उस पर निर्भर किसी अधिकार के प्रयोग का समय उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा दिया जाएगा, जितनी अवधि के दौरान अपरिहार्य घटना के कारण कार्य में बाधा या देरी हुई हो, या जैसा पक्षकारों के बीच सहमति हो।

6.5 उपर्युक्त निहित किसी भी बात के होते हुए भी, यदि कोई अपरिहार्य घटना घटित होती है और 90 (नब्बे) दिनों की अवधि के लिए जारी रहती है, तो पक्षकार ऐसी अपरिहार्य घटना के परिणामों और इसके प्रभावों को कम करने के लिए की जाने वाली कार्रवाई या परिस्थितियों में अपनाए जाने वाले माध्यमों पर चर्चा करने के लिए बैठक करेंगे।

“पृष्ठ का शेष भाग रिक्त छोड़ दिया गया है।”

खंड 7:

गवर्निंग लॉ और विवाद समाधान

7.1 यह एमओयू (इस खंड 7 सहित) और इसकी व्याख्या के सभी प्रश्नों की व्याख्या भारत गणराज्य के कानूनों के अनुरूप की जाएगी।

7.2 पक्षकार सहमत हैं कि वे इस एमओयू के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को सद्भावपूर्ण परामर्श के माध्यम से हल करने का प्रयास करेंगे, और ऐसा परामर्श किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार को ऐसे परामर्श के लिए लिखित अनुरोध देने के तुरंत बाद शुरू होगा। बशर्ते कि यदि ऐसे परामर्श शुरू होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर सद्भावपूर्ण परामर्श के परिणामस्वरूप विवाद का समाधान नहीं होता है, तो खंड 7.3 के प्रावधान लागू होंगे।

7.3 मध्यस्थता

7.3.1 कोई भी विवाद, जिसे पक्षकारों द्वारा सौहार्दपूर्ण समाधान (जैसा कि ऊपर खंड 7.2 के तहत प्रदान किया गया है) के माध्यम से हल नहीं किया जा सका है, अंततः भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा तय किया जाएगा।

7.3.2 विवादों को 3 (तीन) मध्यस्थों वाले एक न्यायाधिकरण को संदर्भित किया जाएगा। मध्यस्थता का प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और इस प्रकार नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ का चयन करेंगे जो न्यायाधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (संयुक्त रूप से "मध्यस्थ न्यायाधिकरण" का गठन करेंगे)। किसी भी पक्ष द्वारा अपने मध्यस्थ (यों) को नियुक्त करने में विफलता की स्थिति में या पक्षकारों द्वारा नियुक्त दो मध्यस्थों द्वारा तीसरे मध्यस्थ को नियुक्त करने में विफलता की स्थिति में, उक्त मध्यस्थ (यों) को दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

7.3.3 ऐसी मध्यस्थता, जब तक कि पक्षकारों को अन्यथा स्वीकार्य न हो, नई दिल्ली, भारत में आयोजित की जाएगी। ऐसी मध्यस्थता की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।

7.3.4 मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय (निर्णय) अंतिम होगा और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

7.3.5 इस खंड 7 के अध्याधीन रहते हुए, नई दिल्ली की अदालतों का इस एमओयू पर क्षेत्राधिकार होगा।

“पृष्ठ का शेष भाग रिक्त छोड़ दिया गया है।”

खंड 8

विविध

8.1 सूचना

8.1.1 इस समझौता ज्ञापन की शर्तों के तहत आवश्यक या अनुमत या कानून द्वारा आवश्यक कोई भी नोटिस (जब तक कि अन्यथा सहमति न हो) लिखित रूप में होगा और व्यक्तिगत रूप से दिया जाएगा, पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाएगा या उचित रूप से पते वाले लिफाफे में पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा या संबंधित पक्षकारों को फैक्स/ईमेल द्वारा निम्नानुसार भेजा जाएगा:

भारत सरकार:

सचिव, भारत सरकार,

नागर विमानन मंत्रालय

पता: राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली।

ईमेल: secy.mca@nic.in

रियायतग्राही:

ध्यानार्थ: क्रिस्टॉफ श्रेलमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ईमेल: Christoph.Schnellmann@yamunaairport.in

या ऐसे किसी अन्य पते या ईमेल पर जिसे समय-समय पर इसके तहत सूचना द्वारा नामित किया जा सकता है।

8.1.2 ऐसा कोई भी सूचना अंग्रेजी भाषा में होगी और उसे वास्तव में वितरित किए जाने के समय दिया गया माना जाएगा यदि वह हाथ से वितरित किया गया है, या फैक्स/ईमेल द्वारा भेजे जाने के अगले कार्य दिवस पर, या किसी भी अन्य स्थिति में जैसा कि उपर्युक्त प्रदान किया गया है मेल किए जाने के 3 (तीन) दिनों के भीतर प्राप्त माना जाएगा।

8.2 पृथक्करणीयता

8.2.1 यदि इस एमओयू में निहित शर्तों या प्रावधानों का कोई हिस्सा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी सीमा तक अमान्य, गैर-कानूनी या अप्रवर्तनीय पाया जाता है, तो ऐसी शर्तें या प्रावधान उस सीमा तक शेष शर्तों और प्रावधानों से अलग कर दिए जाएंगे, जो लागू कानून द्वारा अनुमत पूर्ण सीमा तक मान्य और प्रवर्तनीय बने रहेंगे।

8.3 संपूर्ण समझौता

8.3.1 यह एमओयू इसकी सभी अनुसूचियों और संलग्नकों के साथ, इस समझौता ज्ञापन के विषय के संबंध में पक्षकारों के बीच संपूर्ण समझौते और समझ का प्रतिनिधित्व करता है और पक्षकारों के बीच हुए किसी भी पूर्व समझौते या समझ, चाहे लिखित हो या मौखिक, को निरस्त और प्रतिस्थापित करता है।

8.4 संशोधन

8.4.1 इस एमओयू में कोई भी जोड़, संशोधन या बदलाव तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में न हो और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित न हो।

8.5 समनुदेशन

8.5.1 इस तिथि के बाद लागू कानून में किसी भी बदलाव के बावजूद जो अन्यथा इस एमओयू के समनुदेशन (हस्तांतरण) की अनुमति दे सकता है, कोई भी पक्षकार इस समझौता ज्ञापन या इसके तहत उत्पन्न होने वाले किसी भी अधिकार या दायित्व या किसी लाभ या हित का समनुदेशन नहीं कर सकता है।

8.5.2 बशर्ते कि पूर्वगामी के होते हुए भी, भारत सरकार इसके द्वारा प्रतिस्थापन समझौते की शर्तों के अनुसार चुने गए किसी प्रतिस्थानी इकाई या परियोजना के संबंध में रियायतग्राही के रूप में प्राधिकरण द्वारा स्वीकार की गई किसी अन्य इकाई के पक्ष में इस समझौता ज्ञापन को स्थानांतरित और नोवेट करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत है।

8.6 कोई साझेदारी नहीं

8.6.1 यह एमओयू पक्षकारों के बीच साझेदारी का गठन नहीं करेगा और न ही इसका अर्थ साझेदारी लगाया जाएगा। किसी भी पक्षकार के पास दूसरे पक्षकार को अपने प्रतिनिधि या अन्यथा के रूप में बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा (जब तक कि इस समझौता ज्ञापन के आधार पर या अन्यथा लिखित रूप में स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो और रद्द न किया गया हो)।

8.7 कोई छूट नहीं

8.7.1 इस समझौता ज्ञापन के तहत अपने किसी भी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का प्रयोग करने में भारत सरकार की ओर से विफलता या देरी, उसकी छूट के रूप में कार्य नहीं करेगी, न ही किसी अधिकार, शक्ति, विशेषाधिकार या उपाय का एकल या आंशिक

प्रयोग इसके आगे के प्रयोग को रोकेगा। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, इस समझौता ज्ञापन में प्रदान किए गए अधिकार, शक्तियां, विशेषाधिकार और उपाय संचयी हैं और किसी भी अन्य अधिकारों, शक्तियों, विशेषाधिकारों या उपायों से अलग नहीं हैं (चाहे कानून द्वारा प्रदान किए गए हों या अन्यथा)।

8.8 द्विपक्षीय समझौते

8.8.1 द्विपक्षीय हवाई सेवा समझौते/समझौतों के उद्देश्यों के लिए, यह हवाईअड्डा दिल्ली-एनसीआर का हिस्सा होगा। इसके अलावा, भारत सरकार के संप्रभु अधिकारों को प्रभावित किए बिना या किसी भी तरह से सीमित किए बिना, भारत सरकार, जहाँ भी संभव हो, सभी मौजूदा हवाई सेवा समझौतों को नवीनीकृत करने का प्रयास करेगी और हवाईअड्डे को प्रभावित करने वाले किसी भी मौजूदा समझौते को रद्द या समाप्त न करने का प्रयास करेगी।

“पृष्ठ का शेष भाग रिक्त छोड़ दिया गया है।”

रक्षा और सैन्य सेवाएं

9.1 रियायतग्राही इसके द्वारा वचन देता है और सहमत होता है कि भारतीय रक्षा बलों को हर समय किसी भी प्रकृति के बिना किसी प्रतिबंध या बाधा के मुफ्त में हवाईअड्डे और हवाईअड्डे की सभी सुविधाओं का उपयोग करने का अधिकार होगा। रियायतग्राही युद्ध/अभ्यास/मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) मिशनों के दौरान भारतीय वायु सेना के विमानों के परिचालन के लिए कार्यालय स्थान के साथ-साथ वाईड बॉडी वाले विमानों की पार्किंग के लिए लगभग 450 मीटर x 150 मीटर का एक अलग एप्रन बनाने पर भी सहमत होता है। रियायतग्राही रणनीतिक संपत्तियों की भावी योजना के लिए भारतीय वायु सेना को भेजे जाने हेतु परियोजना के मास्टर प्लान को नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

9.2 खंड 9.1 की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हवाईक्षेत्र के आवंटन और बंद करने, आपात स्थिति के दौरान हवाईअड्डे के उपयोग के संबंध में भारतीय रक्षा बलों के प्रति रियायतग्राही के दायित्व भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और उस सीमा तक, रियायतग्राही को हवाईअड्डे के नागरिक उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के उसके दायित्वों से मुक्त कर दिया जाएगा।

9.3 हवाई क्षेत्र आवंटन और रनवे उपयोग के भारतीय रक्षा बलों के अधिकार को भारत सरकार द्वारा अधिसूचना या परामर्श की कमी या देरी के कारण प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यह भी बशर्ते कि इस खंड के उद्देश्य के लिए कोई समय आपातकाल का है या नहीं, इसका निर्णय केवल भारत सरकार के विवेक पर आधारित होगा।

9.4 रियायतग्राही सहमत होता है कि एयरफील्ड में स्थापित रेडियो नेविगेशनल एड्स अनुरोध पर भारतीय वायु सेना के विमान परिचालन के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें नेविगेशनल सहायता के लिए पारगमन उड़ानें भी शामिल हैं। जब भी भारतीय वायु सेना द्वारा निर्देश दिया जाएगा, परिचालन कारणों से एयरफील्ड में सेवारत रेडियो-नेविगेशनल एड्स को प्रचालित/बंद किया जा सकता है। इसके अलावा, एयरफील्ड में रडार और नेव-एड्स की स्थापना से हिंडन, आगरा आदि जैसे पास के भारतीय वायु सेना के हवाईअड्डों पर प्रचालित वायु सेना के रडार और नेव-एड्स में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा।

9.5 प्रस्तावित हवाईअड्डे पर हवाई क्षेत्र, एटीएस मार्गों, आगमन/प्रस्थान मार्गों और इंस्ट्रुमेंट एप्रोच प्रक्रियाओं का निर्धारण भारतीय वायु सेना के हवाईअड्डों पर प्रचालित प्रतिबंधित, निषिद्ध और खतरनाक हवाई क्षेत्रों और एटीएस प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप/उल्लंघन नहीं करेगा। रियायतग्राही एटीएस पहलुओं/प्रक्रियाओं पर हवाईअड्डे के प्रचालन से पहले हवाई क्षेत्र के उपयोग के लिए भारतीय वायु सेना और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक अलग एमओयू/एलओए निष्पादित करेगा।

9.6 रियायतग्राही/एएआई नागरिक और सैन्य एटीएस इकाइयों के बीच सुचारू समन्वय को प्रभावित करने के लिए जेवर में प्रस्तावित हवाई अड्डे के एटीसी और वायु सेना स्टेशन हिंडन के एटीसी के बीच सीधे संचार की सुविधाएं स्थापित करेंगे।

“पृष्ठ का शेष भाग रिक्त छोड़ दिया गया है।”

इसके साक्ष्य में, पक्षकारों ने उपर्युक्त लिखी पहली तारीख और वर्ष को अपने विधिवत अधिकृत अधिकारियों और प्रतिनिधियों द्वारा इस एमओयू को निष्पादित करवाया है।

द्वारा हस्ताक्षरित

भारत सरकार की ओर से सुश्री रूबीना अलि संयुक्त सचिव नागर विमानन मंत्रालय	गवाह द्वारा
---	--------------------

रियायतग्राही की ओर से और उनके लिए इनके द्वारा हस्ताक्षरित:	गवाह द्वारा
क्रिस्टॉफ श्रेलमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी	
किरनजीत कौर जैन, सीओओ	

अनुसूची १

पशु संगरोध सेवाएं

विनियामक कार्य

आगमन से पूर्व

पशु के आयात के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, सभी शेड और चारा कक्षों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है, उपयुक्त कीटाणुनाशकों से रोगाणुरहित किया जाता है और धूनी भी दी जाती है।

- सभी पशुओं को विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के लिए निर्धारित मानकों और आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त पशु वाहक में लाया जाता है।
- पशुओं के आगमन की निर्धारित तिथि से एक दिन पहले पशु वाहक को उचित रूप से कीटाणुरहित किया जाता है।
- आवश्यक नमूने एकत्र करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाती हैं।

प्रवेश प्वाइंट के आगमन पर:

- आगमन के दिन और आयातक के साथ तय किए गए समय पर, क्षेत्रीय/संगरोध अधिकारी और अन्य कर्मचारी हवाईअड्डे पर पहुंचते हैं।
- पशु या पशु उत्पादों का शारीरिक रूप से गहन परीक्षण/जांच की जाती है।
- निर्दिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं को सुनिश्चित करने के लिए पशुओं या उत्पादों के साथ आए पशु चिकित्सा प्रमाणपत्र की गहन जांच की जाती है।
- यह सुनिश्चित करने के बाद कि पशु चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ हैं और खेप के साथ आए स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सही स्थिति में हैं, सीमा शुल्क निकासी के लिए आयातक एजेंसी को मामले के आधार पर एक अनंतिम संगरोध निकासी प्रमाणपत्र (आयात) या पशु चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाणपत्र (आयात) जारी किया जाता है।
- आयातित जीवित पशुओं को क्षेत्रीय/संगरोध अधिकारी की देखरेख में संगरोध स्टेशन लाया जाता है।
- पशुओं के स्वास्थ्य की स्थिति पर नजर रखने के लिए उन्हें 30 दिनों के लिए या भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य प्रोटोकॉल में निर्दिष्ट अनुसार संगरोध में रखा जाता है।
- पशुधन उत्पादों के मामले में, सैनिटरी आयात परमिट में निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रतिनिधि नमूने निकाले जाएंगे और संबंधित प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए जाएंगे।

“पृष्ठ का शेष भाग रिक्त छोड़ दिया गया है।”

अनुसूची 2

सीएनएस और एटीएम सेवाएं

भारत सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या निर्दिष्ट सरकारी एजेंसी के माध्यम से, संपूर्ण अवधि के दौरान, हवाईअड्डे पर एक पृथक समझौते के आधार पर निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगी या प्रदान करवाएगी:

- (क) शिकागो सम्मेलन के अनुसार समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित पद्धतियों के अनुरूप और भारत के अन्य समान हवाई अड्डों पर लागू समान शर्तों पर, तथा नागर विमानन महानिदेशालय के निर्देशों का पालन करते हुए हवाईअड्डे पर इन सेवाओं की व्यवस्था करवाना;
- (ख) उपकरणों का रखरखाव करवाना, जिसमें इन उपकरणों का आवधिक उड़ान अंशांकन (फ्लाइट कैलिब्रेशन) और परीक्षण शामिल है;
- (ग) उपकरणों को समय-समय पर उन्नत करवाना (i) वर्तमान यातायात मांग की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित नागर विमानन अपेक्षाओं के प्रासंगिक प्रावधानों और अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के दस्तावेजों एवं अनुबंधों सहित लागू कानूनों का अनुपालन करने हेतु न्यूनतम स्तर पर; तथा (ii) हवाईअड्डे के विस्तार या उन्नयन के परिणामस्वरूप;

- (घ) हवाईअड्डे पर इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए समय-समय पर आवश्यक उपकरणों की खरीद अपने स्वयं के खर्च पर या निर्दिष्ट सरकारी एजेंसी के खर्च पर करवाना;
- (ङ) शिकागो सम्मेलन के अनुसार समय-समय पर स्थापित या अनुशंसित पद्धतियों के अनुरूप और भारत में अन्य समान हवाईअड्डों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली समान शर्तों पर मौसम संबंधी सुविधाओं को प्राप्त करना; तथा
- (च) वायु यातायात को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए अधिकृत निर्दिष्ट सरकारी एजेंसी द्वारा लागू कानूनों और उत्कृष्ट उद्योग परिपाटियों के अनुसार रनवे पर विमानों की आवाजाही को सक्षम बनाना।

“पृष्ठ का शेष भाग रिक्त छोड़ दिया गया है।”

अनुसूची 3

सीमा शुल्क नियंत्रण

सीमा शुल्क कार्यों में विमानों, यात्रियों, उनके सामान और माल (कार्गो) के आगमन तथा प्रस्थान के संबंध में सीमा शुल्क अधिनियम 1962 तथा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों और निर्देशों के अनुसार निष्पादित सभी संप्रभु कार्य शामिल होंगे। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- वाकथ्रू मार्ग (पैदल निकलने के रास्ते) पर सीमा शुल्क नियंत्रण,
- हरित / लाल मार्ग (ग्रीन / रेड चैनल) में सामान निरीक्षण काउंटर्स पर सीमा शुल्क नियंत्रण,
- सामान क्षेत्र के भीतर सामान सहायक / उप-आयुक्त की सेवाओं का प्रावधान,
- रोके गए सामान के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण,
- गलत स्थान पर पहुंचे सामान का सीमा शुल्क नियंत्रण,
- बहुमूल्य वस्तुओं का सीमा शुल्क नियंत्रण,
- पुनः प्रेषण (री-शिपमेंट) सामान का सीमा शुल्क नियंत्रण,
- जब्त किए गए सामान का सीमा शुल्क नियंत्रण,
- निकास द्वार के निकट द्वार अधिकारी की तैनाती,
- निर्यात प्रमाण पत्र जारी करना,
- सीमा शुल्क कार्यों से संबंधित प्रासंगिक अधिकारियों की सेवाएं,
- विमानन आसूचना इकाई (एयर इंटेलिजेंस यूनिट), तथा
- सीमा शुल्क के-9 स्काड

रियायतग्राही सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 और समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों व निर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

भारत सरकार नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 24x7 प्रचालित रहने वाले सीमा शुल्क सक्षम माल परिचालन के रूप में अधिसूचित करेगी। इस हवाई अड्डे पर 24x7 परिचालन प्रदान करने के उद्देश्य से, भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एक्सप्रेस तथा सामान्य माल (खतरनाक सामान सहित) के लिए पर्याप्त और प्रशिक्षित सीमा शुल्क कर्मी तैनात किए जाएं।

भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि एकल खिड़की सीमा शुल्क निकासी सुविधा और दस्तावेजों का डिजिटलीकरण (लागू दिशानिर्देशों और उत्कृष्ट उद्योग परिपाटियों के तहत) माल परिचालन के प्रारंभ से ही लागू किया जाए और निर्बाध रूप से प्रदान किया जाए।

भारत सरकार नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर माल परिचालन के लिए संबंधित सेवाएं प्रदान करने हेतु औषधि नियंत्रण, चमड़ा, खाद्य आदि जैसी प्रासंगिक एजेंसियों को अधिसूचित करने का वचन देती है।

“पृष्ठ का शेष भाग रिक्त छोड़ दिया गया है।”

अनुसूची 4

स्वास्थ्य सेवाएं

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) के दायित्व:

1. पक्षकार इसके द्वारा दर्ज करते हैं कि यात्रियों, आगंतुकों, एयरलाइन कर्मचारियों, कर्मचारियों तथा भारत सरकार, प्राधिकरण, रियायतग्राही एवं अन्य संबंधित सरकारी विभागों के अन्य कर्मियों के लाभ के लिए हवाई अड्डा टर्मिनल और माल परिसर में दिन में हर समय निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करने और निम्नलिखित गतिविधियों को शुरू करने का प्रयास करना स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय का निर्णय है (जिन्हें आगे संयुक्त रूप से "स्वास्थ्य सेवाएं" कहा गया है) :

(क) हवाईअड्डा टर्मिनल और माल परिसर में हर समय चिकित्सा सुविधाएं;

(ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर तय किए अनुसार हवाईअड्डा टर्मिनल पर तैनात किए जाने वाले चिकित्सा अधिकारी और अन्य कर्मचारी;

(ग) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय समय-समय पर कर्मचारियों की संख्या निर्धारित करेगा और हवाईअड्डे के आसपास चिकित्सा सुविधाओं का समय तय करेगा;

(घ) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय हवाईअड्डे पर ऐसे अन्य कार्यों को भी पूर्णता देगा जो केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्देशित किए जाएं।

2. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय उपर्युक्त खंड 1 में उल्लिखित सभी या किसी भी स्वास्थ्य सेवा और/या सुविधाओं को प्रदान नहीं करता है, तो रियायतग्राही के प्रति उसकी किसी भी प्रकार की देयता नहीं होगी। ऐसी किसी भी देयता को इसके द्वारा स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया जाता है। रियायतग्राही इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि ऊपर खंड 1 में उल्लिखित किसी भी स्वास्थ्य सेवा या सुविधा के गैर-प्रावधान या आंशिक प्रावधान के लिए उसके पास स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय या किसी अन्य सरकारी निकाय के खिलाफ कोई अधिकार या उपाय नहीं होगा।

“पृष्ठ का शेष भाग रिक्त छोड़ दिया गया है।”

अनुसूची 5

आप्रवासन सेवाएं

हवाईअड्डे पर **आप्रवासन** सुविधा सेवा प्रदान करना और विभिन्न अधिनियमों के तहत विदेशियों के पंजीकरण से संबंधित कार्य करना।

“पृष्ठ का शेष भाग रिक्त छोड़ दिया गया है।”

अनुसूची 6

मौसम संबंधी सेवाएं

इसमें अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के तकनीकी प्रावधानों, अनुबंध 3 और विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ-साथ विमान परिचालन की सुरक्षा की दिशा में भारत मौसम विज्ञान विभाग के मानकों, अनुशंसित पद्धतियों और हवाई नौवहन के सम्मेलनों के अनुसार विमानन मौसम सेवाएं शामिल हैं।

“पृष्ठ का शेष भाग रिक्त छोड़ दिया गया है।”

अनुसूची 7

पादप संरक्षण और संगरोध सेवाएं

विनियामक कार्य:

(क) विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश को रोकने के लिए आयातित कृषि वस्तुओं का निरीक्षण, परीक्षण, उपचार और निकासी

(ख) निर्यात के लिए निर्धारित कृषि वस्तुओं की दृश्य जांच और उपचार

(ग) निर्यात के लिए निर्धारित कृषि वस्तुओं के लिए पादप स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फाइटो-सैनिटरी सर्टिफिकेट) जारी करना

(घ) आयातित लकड़ी पैकेजिंग सामग्री का निरीक्षण और उपचार

(ङ) प्रवेश के बाद संगरोध (पोस्ट एंट्री क्वारंटाइन) निरीक्षण

(च) कृषि वस्तुओं का धूमन / कीट-निवारण / रोगाणु-नाशन

ये कार्य विनाशकारी कीट और कीट अधिनियम, १९१४ और पादप संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, २००३ और इसके संशोधनों के तहत देश में विदेशी कीटों और बीमारियों के प्रवेश के जोखिम को कम करने के लिए किए जाते हैं जो भारतीय कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। ये पद्धतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय पादप संरक्षण सम्मेलन के तहत स्वीकार्य हैं और विश्व व्यापार संगठन के स्वच्छता और पादप-स्वच्छता समझौते के तहत मान्यता प्राप्त हैं।

“पृष्ठ का शेष भाग रिक्त छोड़ दिया गया है।”

अनुसूची 8

सुरक्षा सेवाएं

कार्य:

- हवाईअड्डा प्रचालकों, एयरलाइन प्रचालकों और नागर विमानन सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के शिकागो सम्मेलन के अनुबंध 17 के अनुसार और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप के अनुसार रियायतग्राही और नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के बीच हुए समझौते में निहित शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट सरकारी एजेंसी के माध्यम से सुरक्षा प्रदान करना।
- यह सुनिश्चित करना कि निर्दिष्ट सरकारी एजेंसी और सुरक्षा नियंत्रणों को लागू करने वाले उसके व्यक्तियों को उचित रूप से चुना गया है, प्रशिक्षित किया गया है और उनके पास अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक सभी दक्षता मौजूद है।
- नागर विमानन सुरक्षा मामलों की योजना और समन्वय।
- सुरक्षा कर्मचारियों की पेशेवर दक्षता और सतर्कता का परीक्षण करने के लिए निर्दिष्ट सरकारी एजेंसी के माध्यम से गुप्त और प्रकट सुरक्षा परीक्षण आयोजित करना तथा आपातकालीन योजनाओं की प्रभावकारिता और विभिन्न एजेंसियों की परिचालन तैयारियों का परीक्षण करने के लिए कृत्रिम अभ्यास (मॉक ड्रिल) आयोजित करना।

“पृष्ठ का शेष भाग रिक्त छोड़ दिया गया है।”